

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ. 14(401/36)2020/एफसीए/प्रमुवसं/

2710

दिनांक

22.9.2020

शासन सचिव,
वन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— Diversion of 0.2239 ha. of forest land in favour of M/S juggler Hawk industries Pvt. Ltd. for construction of approach road for proposed bio-diesel plant on NH-62 (old NH-15) Chainage no 209+671 (RHS) at Chak 7BLW,SQ no.- 55 kalla no. 21-25 at Village Kenchiyal, tehsil Pilibznga, District Hanumangarh.
संदर्भ:— राज्य सरकार, का पत्रांक पं. 1 (73)वन/2020 दिनांक 15.09.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में चाहे गये बिन्दुओं/स्पष्टीकरण की सूचना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर के पत्र क्रमांक 7260 दिनांक 18.09.2020 से प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार हैं:—

क्र.सं.	आक्षेप बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	Diversion of 0.2239 ha. of forest land in favour of M/S juggler Hawk industries Pvt. Ltd. for construction of approach road for proposed bio-diesel plant on NH-62 (old NH-15) Chainage no 209+671 (RHS) at Chak 7BLW,SQ no.- 55 kalla no. 21-25 at Village Kenchiyal, tehsil Pilibznga, District Hanumangarh. के प्रस्ताव हेतु क्या वैकल्पिक एप्रोच रोड उपलब्ध है, की स्थिति को स्पष्ट कर, सूचना भिजवाने का श्रम करावे।	यह प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग 62(पुराना राजमार्ग 15) पर बायो-डीजल प्लांट स्थापित करने से संबंधित है। प्रस्ताव में भारत सरकार के सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राजमार्ग को उपयोग किये जाने की अनापत्ति जारी की जा चुकी है तथा बायो-डीजल प्लांट स्थापित करने हेतु स्थान भी निर्धारित किया जाकर लेटर ऑफ इन्डेन्ट जारी किया जा चुका है जिनकी प्रतियां मूल प्रस्ताव में संलग्न दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर सरकार द्वारा अनिवार्य रक्षित पट्टी घोषित कर भूमि वन विभाग हेतु आरक्षित कर दी गई है। अतः सड़क किनारे बायो-डीजल प्लांट, इस अनिवार्य रक्षित पट्टी को उपयोग करके ही स्थापित किया जाना संभव है, इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः निवेदन है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा की रक्षा करने तथा डीजल एवं प्रकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के विकल्प क रूप में तैयार किये जाने बाबत शीघ्र स्वीकृति जारी फरमावे।

उक्तानुसार सूचना संलग्न इस कार्यालय की सहमति के साथ भिजवाई जा रही हैं।
संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरिजीत बनर्जी)

अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 14(401/36)2020/एफसीए/प्रमुवसं/

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।

दिनांक

(पी. सी. कुमावत)

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर